Indian J. Soc & Pol. 03(01): 2016 :109-112 **ISSN 2348-0084(P)**
ISSN 2455-2127(O)

ग्रामीण विकास में महिला सहभागिता एवं सशक्तीकरण : पंचायती राज के संदर्भ में

लवली मौर्या[1]

[1]शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, फिरोज गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायबरेली, (उ0प्र0) भारत

ABSTRACT

शासन के संचालन में जितना सक्रिय, सतत् और व्यापक योगदान जनता का होगा, शासन उतना ही लोकतन्त्र के सन्निकट होगा। शासन में जनता की सक्रिय भागीदारी के लिए लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण अर्थात् पंचायती राज एक माध्यम है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने पंचायती राज की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट लिखा कि भारत के सात लाख गाँवों की आजादी के बगैर भारत की आजादी अधूरी है। आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। गाँवों की आजादी से उनका मतलब था, अपने बारे में खुद सोंचने, निर्णय करने और अपने द्वारा किये गये निर्णय को खुद ही क्रियान्वित करने की आजादी । भारत में यह अवधारणा पंचायत राज के रूप में जानी जाती है । प्रस्तुत शोध अध्ययन भारत में पंचायती राज से सन्दर्भित ग्रामीण विकास में महिला सहभागिता एवम् महिला सशक्तिकरण का अध्ययन किया गया है। अध्ययन रायबरेली जनपद के राही विकास खण्ड के पंचायतों पर आधृत है।

KEYWORDS: *पंचायत, ग्रामीण विकास,महिला सहभागिता, महिला सशक्तिकरण*

पंचायत व्यवस्था का इतिहास भारत में बहुत पुराना है, सदियों पुराने आदिम समाज ने जब सभ्यता की ओर बढ़ना शुरू किया था, सम्भवतः तब से ही पंचायत व्यवस्था शुरू हुई। विदेशी शासन काल में पंचायतों के बिगड़े हुए स्वरूप को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से स्वतन्त्रता के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद–40 में राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज ढाँचे का प्रावधान किया गया।(वर्मा व यादव,2015,पृ63) इसी विचार से भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता कमेटी (1959), अशोक मेहता कमेटी (1978) एवं जी0बी0के0 राव कमेटी (1985) का गठन किया , किन्तु पंचायतों की स्थिति निराशाजनक रही। वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर देना था।

पंचायती राज संस्थाओं में महिला सहभागिता

संविधान का 73वाँ संशोधन अधिनियम पंचायती राज में ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को नेतृत्व एवं संवैधानिक शक्ति प्रदान कर सशक्तिकरण की दिशा में अवसर प्रदान किया है। पंचायती राज में महिला सहभागिता से न केवल राजनैतिक स्तर प्रभावित होता है बल्कि यह प्रभाव महिला जागरूकता, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक दृष्टिकोण, योजना क्रियान्वयन में दृष्टिगोचर होता है। जब गाँव की महिला पंचायती राज द्वारा ग्रामीण योजनाओं के निर्माण एंव क्रियान्वयन में भागीदारी बनती है तो घर की चहारदीवारी में कैद अन्य महिलाएँ भी पुरूषों के समान विकास कार्यो में भागीदारी करके स्वयं को अबला की जगह सबला कहलाना चाहती है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2000 में पूरे देश में महिला सरपंच 7,72,677 थी। वहीं 2004 में उनकी संख्या 8,38,245 तक पहुँच गई। इसी तरह पंचायत समिति में वर्ष 2000 में उनकी संख्या 38,412 से 2004 में 47,455 हो गई। (पंचायती राज मंत्रालय रिपोर्ट 2002)

इससे स्पष्ट होता है कि महिला नेतृत्व को अब स्वीकार किया जाने लगा है। उनमें राजनैतिक चेतना, आत्मनिर्भरता एवं जागरूकता का संचार हुआ है, जो महिला शक्ति एवं नेतृत्व को स्पष्ट करता है। राज्यवार महिला जन प्रतिनिधियों की संख्या देखें तो केरल में सर्वाधिक 57.24 फीसदी महिला जनप्रतिनिधि है। पंचायती राज में महिला भागीदारी एवं नेतृत्व के कुछ रोचक उदाहरण भी है, जो इस प्रकार है –

- बिहार के कटिहार जिले में एक महिला हलीमा खातून ने किराडा पंचायत के चुनाव में 15 उम्मीदवारों के बहुकोणीय मुकाबले में विजयी होकर पंचायती राज संस्थाओं में एक नया अध्याय जोड़ा।
- उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 60 प्रतिशत महिलाओं को पंच निर्वाचित कर आरक्षण–अनारक्षण के सभी रिकार्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।(सिंह व सिंह,2014,पृ 14)

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव–2010 में आबादी के अवरोही क्रम के अनुरूप चुनाव आरक्षण की व्यवस्था नये सिरे से हुई ऐसे में अभी तक जिन सीटों पर वर्षो से पुरूष वर्ग का ही कब्जा था, वे अब महिलाओं के हिस्से में आ गईं।

सम्प्रति अध्ययन क्षेत्र रायबरेली जनपद के राही ब्लाक में पंचायत चुनाव–2010 में तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए कुल 3795 पद आरक्षित थे। सभी महिला प्रत्याशियों ने प्रचार–प्रसार में बढ़कर नेतृत्व किया तथा भारी मतों से विजयी होकर अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया। राही विकास

1: Corresponding Author

खण्ड में कुल 59 ग्राम पंचायतें हैं। जिसने सोद्देश्यपूर्ण पद्धति से 22 ग्राम पंचायतें, जिनमें महिला प्रधान निर्वाचित हैं, उनका

पंचायत चुनाव–2010 रायबरेली जनपद के 22 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों की सूची

क्रम सं0	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम प्रधान का नाम	वैवाहिक स्थिति	धर्म	जाति	आयु	शैक्षिक योग्यता	वर्ग
1	उमरा	श्रीमती गुड्डा देवी	विवाहित	हिन्दू	पासी	33	निरक्षर	महिला अनु0जा0
2	सरांय दामू	श्रीमती कृष्णा देवी	विधवा	हिन्दू	अहिर	38	इण्टर	महिला ओ.बी.सी.
3	रायपुर महेरी	श्रीमती शिवानी	विवाहित	हिन्दू	तेली	35	इण्टर	महिला ओ.बी.सी.
4	कोला हैबतपुर	श्रीमती शशी	विवाहित	हिन्दू	अहिर	35	हाईस्कूल	महिला ओ.बी.सी.
5	सरांय मो0 शरीफ	श्रीमती रन्नो	विवाहित	हिन्दू	ब्राहम्ण	32	इण्टर	महिला सामान्य
6	एकौना	श्रीमती निर्मला देवी	विवाहित	हिन्दू	तेली	40	प्राइमरी	महिला ओ.बी.सी.
7	बेला टेकई	श्रीमती कमलेश	विवाहित	हिन्दू	गड़रिया	34	साक्षर	महिला ओ.बी.सी.
8	बेला गुसीसी	श्रीमती श्यामा देवी	विवाहित	हिन्दू	धोबी	35	जू0हा0	महिला अनु0जा0
9	मोहम्मदपुर कुचरिया	श्रीमती लक्ष्मी देवी	विवाहित	हिन्दू	मुराई	32	हाईस्कूल	महिला ओ.बी.सी.
10	इब्राहिमपुर	कु0 प्रीती वर्मा	अविवाहित	हिन्दू	कुर्मी	22	परास्नातक	महिला ओ.बी.सी.
11	बेहटा खुर्द	श्रीमती निशा	विवाहित	हिन्दू	गोड़िया	30	प्राइमरी	महिला ओ.बी.सी.
12	गोंदवारा	श्रीमती पूनम	विवाहित	हिन्दू	बेड़िया	30	प्राइमरी	महिला अनु0जा0
13	आंटी नौगवाँ	श्रीमती सुनीता	विवाहित	हिन्दू	अहिर	42	इण्टर	महिला ओ.बी.सी.
14	कनौली	श्रीमती सुधा सिंह	विवाहित	हिन्दू	क्षत्रिय	30	इण्टर	महिला सामान्य
15	परमानपुर	श्रीमती कुसमा सिंह	विवाहित	हिन्दू	क्षत्रिय	38	इण्टर	महिला सामान्य
16	सनही	श्रीमती राजकुमारी	विवाहित	हिन्दू	मुराई	42	साक्षर	महिला ओ.बी.सी.
17	रूस्तमपुर	श्रीमती फूलमती	विवाहित	हिन्दू	पासी	40	जू0हा0	महिला अनु0जा0
18	रतन्सीपुर	श्रीमती अनीता	विवाहित	हिन्दू	मुराई	27	साक्षर	महिला ओ.बी.सी.
19	झकरासी	श्रीमती शान्ती देवी	विवाहित	हिन्दू	अहिर	55	निरक्षर	महिला ओ.बी.सी.
20	सुलख्यिापुर	श्रीमती राधा	विवाहित	हिन्दू	चमार	42	निरक्षर	महिला अनु0जा0
21	मधुपुरी	श्रीमती प्रेमलली	विवाहित	हिन्दू	ब्राहम्ण	55	प्राइमरी	महिला सामान्य
22	जगदीशपुर	श्रीमती सुखदेई	विवाहित	हिन्दू	चमार	55	साक्षर	महिला अनु0जा0

चयन किया गया है, जिसमें साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन विधि के माध्यम से ग्रामीण विकास में उनकी सहभागिता को जानने का प्रयास किया गया है।

सभी 22 निर्वाचित महिला प्रधानों से साक्षात्कार लिया गया, जिसमें उन्होनें अपने–अपने ग्राम की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सफाई, पेयजल, जल–निकास, सड़क निर्माण, सामाजिक विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, मनरेगा, स्वयं सहायता समूहों, टीकाकरण, इतयादि से सम्बन्धित कार्यो के विषय में बताया, साथ ही उनके द्वारा गाँव में सम्पन्न कराये गये विकास कार्यो का अवलोकन भी किया गया।

प्रस्तुत उपर्युक्त तालिका में कुल 22 महिला ग्राम प्रधानों में से मात्र 03 महिलाएँ ही निरक्षर है। 04 महिलाएँ साक्षर है। 04 महिलाएँ प्राइमरी (कक्षा–05) उत्तीर्ण हैं। 02 महिलाएँ जू0हा0स्कूल (कक्षा–8) उत्तीर्ण है। 02 महिलाएँ हाईस्कूल (कक्षा–10) उत्तीर्ण है। 06 महिलाओं ने इण्टरमीडिएट (कक्षा–12) तक शिक्षित है। 01 महिला प्रधान जो अविवाहित थी, जिसने परास्नातक (एम0ए0) तक शिक्षा प्राप्त की है। महिला ग्राम प्रधानों की शैक्षिक स्थिति में मात्र 03 महिलाएँ ही निरक्षर हैं। 19 महिलाएँ शिक्षित वर्ग की श्रेंणी में हैं, जो शैक्षिक दृष्टिकोण से उनकी स्थिति को मजबूती प्रदान किया है।

शिक्षा व्यवस्था

22 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक गाँव में एक–एक प्राइमरी स्कूल है तथा 13 ग्राम पंचायतों में प्राइमरी स्कूल के साथ–साथ एक–एक जू0हा0 है। 3 ग्राम पंचायतों में एक–एक इण्टर कालेज भी है। स्कूलों में पेयजल, शौचालय, खेल का मैदान, श्यामपट्ट, शिक्षण सामग्री, टाट पट्टी की उत्तम व्यवस्था है। मध्यान् भोजन का प्रबन्ध प्रत्येक दिन समय पर मीनू के अनुसार दिया जाता है।

स्वास्थ्य एवं सफाई

22 ग्राम पंचायतों में आशा बहू, एनम, आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन कुशलतापूर्वक किया जाता है। सफाई कर्मचारियों द्वारा नाली सफाई, खड़न्जा की सफाई होती है। आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होता है।

निर्माणात्मक कार्य

18 ग्राम पंचायतों में मनरेगा द्वारा एक–एक तालाब का निर्माण, खड़न्जा, स्कूल भवन, सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में शौचालय एवं आवास का निर्माण किया गया। 9 ग्राम पंचायतों में विधायक एवं सांसद निधि से सौर ऊर्जा द्वारा बिजली की भी सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

सामाजिक कार्य

22 ग्राम पंचायतों में गाँव के विधवा, विकलांग एवं वृद्ध जनों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। संचार हेतु बी0एस0एन0एल0, वोडाफोन, एयरटेल की सेवाएँ, अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी, मिट्टी का तेल, राशन आदि मिलता है। 22 ग्राम पंचायतों में से 16 ग्राम पंचायतों में मुर्गी पालन मत्स्य पालन एवं दुग्ध उत्पादन का कार्य किया जाता है। जिसके लिए उन्हें सरकार द्वारा सहायता राशि भी प्राप्त हुई है।

महिला सशक्तीकरण

सभी 22 ग्राम पंचायतों में महिला ग्राम प्रधान हैं, जो अपने पद की भूमिका का निर्वहन करते हुए अपने ग्राम पंचायतों की बैठकों में मुद्दों पर विचार–विमर्श करती हैं विकास कार्य एवं नीतियों के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका का सम्पादन करती है। 6 महिला प्रधानों ने बताया कि विकास एवं निर्माण के आय–व्यय बजट के लेखों से सम्बन्धित सहायता के रूप में अपने पति एवं परिवार का सहयोग लेती हैं, जिसके लिए वे अपने को निर्णय प्रक्रिया में असमर्थ समझती है। 2 ग्राम पंचायत मधुपुरी, इब्राहिमपुर की महिला प्रधान क्रमशः प्रेमलली, प्रीती ने अपने गाँव में विकास सम्बन्धी एजेण्डों को जिसमें शौचालय, आवास, पेंशन, स्वयं सहायता समूह, सौर ऊर्जा, जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक, पेयजल कार्य का कार्य बेहतर ढंग से किया है, जिसके लिए मधुपुरी की ग्राम प्रधान प्रेमलली को वर्ष–2012 में ''ग्राम पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार'' भी राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त हुआ है।

प्रेमलली ने बताया कि 7 महिला स्वयं सहायता समूह, 2 आंगनबाड़ी केन्द्र, 70 प्रतिशत महिलाएँ मनरेगा में रोजगार के कार्य लगी हुई है। वे अपने गाँव में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविरों का आयोजन अपने नेतृत्व में करवाती है। गाँव की महिलाओं से भी साक्षात्कार द्वारा जानकारी ली गई, जिसमें उन्होनें कार्यो के विषय में जानकारी ली गई। पंचायत चुनाव, रैलियों, जनसभाओं में ग्राम की सभी महिलायें उनके नेतृत्व में सहभागिता करती है।

निष्कर्ष :

इस प्रकार 59 ग्राम पंचायतों में से 22 ग्राम पंचायतों की महिला से साक्षात्कार एवं अवलोकन द्वारा ग्रामीण विकास में उनकी सहभागिता को जाना गया। ग्रामीण विकास कार्यो में अपनी पूर्ण सहभागिता द्वारा उन्होनें अपने कार्यो का सर्वांगीण विकास करते हुए ग्रामीण विकास में अपनी सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण को स्पष्ट किया है।

सन्दर्भ

सम्पादकीय, *कुरूक्षेत्र,* नवम्बर–2015, वर्ष–62, अंक–01, पृष्ठ–4

वर्मा, डा0 विजय कुमार,, सुनीता यादव (2015) :''*भारत में पंचायती राज और महिला सशक्तीकरण* , राधाकमल मुखर्जी : चिन्तन परम्परा, जुलाई दिसम्बर 2015, अंक–2, वर्ष–12, पृष्ठ–63

रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय एवं चुनाव आयोग, 2001

सिंह, विमल कोडान एवं सिंह आनन्द ''महिला सशक्तीकरण में पंचायत की भूमिका'', *कुरूक्षेत्र* , जून 2010, पृष्ठ–14